25/5/26	पत्रावली पेश कर नि0कि0 पेश हुई। उक्त पत्र 34 प्रा.पत्र प्रार्थी ओर से स्वीकार किया जाकर निर्णय किश्तवार नि0कि0 शामिल किया जाकर पत्रावली निस्तारित की जाती है। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2022/208

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 341/2022 GCMS:-2022/208 **दायर दिनांक : 30.11.2022**

राजूराम पुत्र श्री पुन्नूराम जाति बावरी निवासी चक 6 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. पुन्नूराम पुत्र श्री गजनराम जाति बावरी निवासी चक 6 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. जगदीश पुत्र श्री गुरदेवकौर पत्नी श्री पुन्नूराम जाति बावरी निवासी चक 6 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. उपपंजीयक महोदय सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जैतसर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री जसवीर सिंह बराड़, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक :** 25/05/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र धारा 212 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि पुन्नूराम के नाम से चक 6 एफ.डी.एम.बी. जमाबंदी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता सं. 32/6 के प.न. 103/345 कि.न. 13/2 में 0.126 है. क., 14 ता 25/3/3.036 है.क. कुल 3.162 है. क. भूमि में से 181/1054 हिस्सा यानि 0.543 है. क. खातेदारी भूमि दर्ज है जो कि पुन्नूराम को अपने पिता से प्राप्त हुई है यह हिन्दु सहदायी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्से का हकदार है किन्तु पुन्नूराम बदचलन है व इसके सम्बंध परायी महिला गुरदेव कौर से है और उसके दबाव में पुन्नूराम ने सारी जमीन जगदीश को दान में दे दी है जिसे उसे देने का कोई अधिकार नहीं था। दौराने वाद भूमि हस्तांतरण होने की सम्भावना है इसलिए दौराने वाद भूमि व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतू अप्रार्थीगण को पाबंद करने की प्रार्थना की। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इकतरफा सुनकर पुन्नूराम के हिस्से की पूर्ण भूमि पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.12.2022 को दिया गया व तारीख पेशी 28.12.2022 नीयत की गई व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से

क्रमशः पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि तेजकौर जो प्रार्थी की माता है अप्रार्थी सं. 1 को 40 वर्ष पूर्व छोड़कर जा चुकी है प्रार्थी का जन्म भी अपने ननिहाल में ही हुआ है तेज कौर ने दूसरी शादी करवा ली प्रार्थी उसका सहदायी सदस्य नहीं है व ना ही कभी उसके साथ रहा है इसलिए प्रश्नगत भूमि में उसका कोई हक नहीं है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

जवाब आने पर तर्क सुने गये प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया व वाद ग्रस्त भूमि सहदायी का तर्क देते हुए अपना हिस्सा बताया व स्थगन ता फैसला वाद बढ़ान की मॉग की गई। अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि अंकित काश्तकार के विरूद्ध स्थगन देने का कोई प्रावधान नहीं है ना ही प्रार्थी सहदायी सदस्य है उसके स्वयं के कथनानुसार भी उसका 1/4 हिस्से से ज्यादा हक नहीं बनता जो बहुत ही कम है, प्रार्थी का कब्जा भी नहीं है इसलिए प्रार्थना प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पाया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण परिवार के सहदायी सदस्य है या नहीं इसका निर्धारण वाद की पूर्ण सुनवाई में होगा तब तक प्रार्थी के हित सुरक्षित किया जाना उचित है यदि प्रार्थी के कथनों को माना भी जावे तब भी अप्रार्थी के 2 पुत्र व एक पत्नी व स्वयं अप्रार्थी सं. 1 कुल 4 सदस्य बनते है इस प्रकार प्रार्थी का हिस्सा प्रश्नगत भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है सारी भूमि पर स्थगन दिया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार चक 6 एफ.डी.एम.बी. जमाबंदी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता सं. 32/6 के प.न. 103/345 कि.न. 13/2 में 0.126 है. क., 14 ता 25/3/3.036 है.क. कुल 3.162 है. क. भूमि में से 181/1054 हिस्सा यानि 0.543 है. क. खातेदारी भूमि जो पुन्नूराम के नाम से दर्ज है व उसके द्वारा जगदीश को दान में दी गई है व वर्तमान में उसके नाम से दर्ज है के 1/4 हिस्सा तक वाद दायरी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखे इस हेतू अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन प्रदान किया जाता है। इसी अनुसार पूर्व में जारी स्थगन आदेश को संशाधित समझा जावें।

आदेश सुनाया गया पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़